न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
48 / 2015 / प्रा.पत्र / 2016	20.04.2015	13.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–विक्रेता श्री चेतन कुमार जैन पुत्र श्री मेवालाल जैन जाति महाजन निवासी जैन मन्दिर के सामने मालपुरा जिला टोंक मैसर्स अग्रसेन किराणा भण्डार जैन मन्दिर के सामने मालपुरा जिला टोंक
2–मैसर्स अग्रसेन किराणा भण्डार जैन मन्दिर के सामने मालपुरा जिला टोंक
3–श्री मदन लाल जैन पुत्र श्री चिरंजी लाल जैन जाति महाजन निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक प्रोपराइटर मैसर्स मदन लाल ज्ञान चन्द नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
4–मैसर्स मदनलाल ज्ञानचन्द जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
5–नॉमिनी विवेक कुमार सिंह मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम पोस्ट मनेसर खेडी (बेनाडा रोड), तहसील बस्सी, जयपुर
6– मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम पोस्ट मनेसर खेडी (बेनाडा रोड), तहसील बस्सी, जयपुर

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 व 4 उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 13.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.09.2014 को समय 02:30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अग्रसेन किराणा भण्डार जैन मन्दिर के सामने मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री चेतन कुमार जैन पुत्र श्री मेवालाल जैन उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री चेतन कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स अग्रसेन किराणा भण्डार जैन मन्दिर के सामने मालपुरा जिला टोंक राज. का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कार्टून में 500 ग्राम पैक के लगभग 80 नग पैक्ड

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अवस्था में **वनस्पति (अशोका ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री चेतन कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री चेतन कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **वनस्पति (अशोका ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 07 एवं पैकिंग की दिनांक अप्रेल 2014 थी, वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 500–500 ग्राम के चार पैकेट खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **वनस्पति (अशोका ब्राण्ड)** 500–500 ग्राम के चार पैकेट को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–788 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–788 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री चेतन कुमार जैन पुत्र श्री मेवालाल जैन मैसर्स अग्रसेन किराणा भण्डार जैन मन्दिर के सामने मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स मदनलाल ज्ञानचन्द जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक बिल पेश उपरोक्त वनस्पति क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स मदनलाल ज्ञानचन्द जैन नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने हेतु पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम पोस्ट मनेसर खेडी (बेनाडा रोड), तहसील बस्सी, जयपुर का बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया एवं अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम पोस्ट मनेसर खेडी (बेनाडा रोड), तहसील बस्सी, जयपुर को फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने हेतु पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का नॉमिनी फार्म नं. 9 व खाद्य अनुज्ञा पत्र उपलब्ध कराया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./14/19 दिनांक 03.11.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/414/एक्ट/2014/424 दिनांक 29.09.2014 अनुसार विक्रेता श्री चेतन कुमार जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **वनस्पति (अशोका ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **वनस्पति (अशोका ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने दिनांक 01.04.2016 को जबाव पेश किया। अप्रार्थी सं. 3 ता 4 की ओर से दिनांक 08.07.2015 को श्री जितेन्द्र जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से श्री मनमोहन शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु अभिभाषक अप्रार्थीगण को कई अवसर देने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तथा अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 ता 4 ने अप्रार्थी सं. 3 श्री मदन लाल जैन की मृत्यु होना जाहिर किया एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **वनस्पति (अशोका ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे तथा अप्रार्थी सं. 3 श्री मदन लाल जैन की मृत्यु हो जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप करने पर कोई आपत्ति पेश नहीं की।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **वनस्पति (अशोका ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 4,75,000/–(अक्षरे चार लाख पचहत्तर हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक राज0